

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 9, 2019/वैशाख 19, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 40
No. 89]	DELHI, THURSDAY, MAY 9, 2019/VAISAKHA 19, 1941	[N.C.T.D. No. 40

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग

(जी.एस.टी.-नीति शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 8 मई, 2019

सं. 12/2019-राज्य कर

सं.फा. 2(155)/पॉलिसी-जीएसटी/2019/52-61.—आयुक्त, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परतुंक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हैं, अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उस मास के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन तक, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने की समय सीमा को विस्तारित करते हैं।

2. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से जून, 2019 मास के लिए यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने के लिए समय सीमा को तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना मार्च 07, 2019 से लागू मानी जाएगी।

एच. राजेश प्रसाद, आयुक्त, जीएसटी (राज्य कर)

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(GST-POLICY BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 8th May, 2019

No. 12/2019–State Tax

No.F. 2(155)/Policy-GST/2019/52-61.—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** under the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from April, 2019 to June, 2019 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2017 to June, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

3. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 7th day of March, 2019.

H. RAJESH PRASAD, Commissioner, GST (State Tax)

अधिसूचना

दिल्ली, 8 मई, 2019

सं. 13/2019-राज्य कर

सं.फा. 02(156)/पॉलिसी-जीएसटी/2019/62-71.—आयुक्त, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी में ऐसे मास के उतरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी ।

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर संदाय-प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए पहले पैरा में यथाविनिर्दिष्ट उस अंतिम तारीख के अपश्चात्, जिसको उससे उक्त विवरणी को देने की अपेक्षा की जाती है, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में विकलन करके, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा ।

3. यह अधिसूचना मार्च 07, 2019 से लागू मानी जाएगी।

एच. राजेश प्रसाद, आयुक्त, जीएसटी (राज्य कर)

NOTIFICATION

Delhi, the 8th May, 2019

No. 13/2019–State Tax

No. F. 2(156)/Policy-GST/2019/62-71.—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for each of the months from April, 2019 to June, 2019, shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month.

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.**—Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

3. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 7th day of March, 2019.

H. RAJESH PRASAD, Commissioner, GST (State Tax)